

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 76/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/229

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

मीरोदेवी पत्नी गोकलराम

जाति पटेल (कलबी)

निवासी कल्याणपुर व तहसील कल्याणपुर

1. बस्तीराम पुत्र रामाराम
2. थानाराम पुत्र रामाराम
3. धापूदेवी पत्नी रामाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 4 से 6
4. केराराम पुत्र रामाराम
5. मन्जू पुत्री लूम्वाराम
6. संगीता पुत्री लूम्वाराम जाति पटेल (कलबी) निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955उपस्थिति

1. श्री जुंजाराम पटेल अधिवक्ता वादीनी
2. प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 31.10.2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1113/413 क्षेत्रफल 8.1180 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 09.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय पक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद

मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1113/413 क्षेत्रफल 8.1180 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	मीरोदेवी पत्नी गोकलराम हि. पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	1113/413	0.1619	बा. अब्वल	0.25	नक्शे में दर्शितानुसार
2	1.केसराम पुत्र रामाराम हि.1003/4915 2.थानाराम पुत्र रामाराम हि.1003/4915 3.धापूदेवी पत्नी रामाराम हि. 1003/4915 4.बस्तीराम पुत्र रामाराम हि. 903/4915 5.मंजू पुत्री लुम्बाराम हि. 1003/9890 6.संगीता पुत्री लुम्बाराम हि. 1003/9890 जाति पटेल निवासी कल्याणपुर (खातेदार)	कल्याणपुर	1113/413	7.9561	बा. अब्वल	12.25	नक्शे में दर्शितानुसार

तहसीलदार,कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिमी-यर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

31/10/2025

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

31/10/2025

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 76/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/229
वादीनी बनाम प्रतिवादी

मीरोदेवी पत्नी गोकलराम
जाति पटेल (कलवी)
निवासी कल्याणपुर व तहसील कल्याणपुर

1. बस्तीराम पुत्र रामाराम
2. थानाराम पुत्र रामाराम
3. धापूदेवी पत्नी रामाराम के वारिसान
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 4 से 6
4. कंराराम पुत्र रामाराम
5. मन्जू पुत्री लूम्वाराम
6. संगीता पुत्री लूम्वाराम
जाति पटेल (कलवी)
निवासी कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर : 76/2023

निर्णय दिनांक :-31.10.2025

वादीनी की ओर से श्री जुंजाराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.10.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
31/10/2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़



[Signature]
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा